संक्षिप्त

श्याम लाल सैनी प्रदेश महामंत्री बने

फुलेरा, (निसं)। फुलेरा कस्बे के निवासी एवं समाजसेवी श्याम लाल सैनी को अखिल भारतीय मानवाधिकार मिशन के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष गौरीशंकर सैनी ने अपने संगठन के उच्च पदाधिकारीयो से अनुशंसा कर संगठन में प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्त कर जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही सैनी को अखिल भारतीय मानवाधिकार मिशन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गरीब, लाचार, बेसहारा, मानव अधिकारों से वंचित एवं पीडितों को संगठन द्वारा राहत प्रदान करवाने में तन, मन, धन से सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देश दिये।

प्याज़ मंडी में शनिवार को अवकाश

खैरथल, (निसं)। स्थानीय प्याज़ मंडी में शनिवार को पूर्णत: अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है। फल एवं सब्जी मंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष दुर्गा दास परवानां ने बताया कि इस संबंध में सभी प्याज़ उतपादक किसानों से शनिवार को अपनी उपज मंडी में बेचने के लिए नहीं लाने के लिए कहा गया है।

हनुमान चालीसा 19 को

खैरथल, (निसं)। स्वर्गीय समाजसेवी लाला जयनारायण खंडेलवाल के एक सौ ग्यारहवें जन्म दिवस पर 19 नवंबर को संकीर्तन हनुमान चालीसा वाचन का आयोजन किया जाएगा।

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाला 5 दिन के रिमांड पर

■ 66 लाख रुपए ठगे थे, दोबारा ठगी करते धरा गया

लालसोट, (निसं)। थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो खुद को रसूखदार बताते हुए रेलवे एवं बैंक आदि जैसे महकमे में फर्जी तरीके से नौकरी का झांसा देकर रुपए ठग लिया करता था। जिसे लालसोट पुलिस की एक विशेष टीम ने बुधवार शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस से घेराबंदी कर दबोच ने में सफलता प्राप्त की है।

वहीं थाना पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गुरूवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायालय द्वारा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।

लालसोट थाना अधिकारी नाथू लाल मीणा ने बताया कि जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता एवं जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन के निर्देशन में एवं डिप्टी एसपी लालसोट अरविंद कुमार गोयल के सुपरविजन में मन थाना अधिकारी के नेतृत्व में थाने के हेड कोस्टेबल प्रेम राज चौधरी एवं थाने के आसूचना अधिकारी नरेश योगी एवं साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह की एक टीम द्वारा नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले अकलेश यादव कोगिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी के खिलाफ लालसोट थाने में फर्जी नौकरी का झांसा देकर कई बेरोजगार युवकों से 66 लाख रुपए ठगने का भी आरोप है। वहीं इस मामले को लेकर लालसोट थाने में एक युवक द्वारा आरोपी के खिलाफ 1 साल पहले झूठी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने का मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ था। ठगी का आरोपी शातिर होने के कारण खुद की लोकेशन बदलते हुए फरारी काट रहा था। वहीं आरोपी एवं पीडित युवक लगातार में संपर्क में बने हुए थे। जहां पुलिस टीम द्वारा आरोपी के शातिराना अंदाज को देखते हुए पीडित युवक को साथ लेकर जाल बिछाया और पीडित युवक से ठगी के आरोपी द्वारा दो युवकों को तुरंत नौकरी दिलाने की बात कहते हुए दोनों युवकों से ढाई ढाई लाख रुपए लेकर मौके पर ही आंसर की भरवाकर सरकारी नौकरी में सेलेक्ट करवाने कि कहते हुए पैसे बताएगी जगह पर मंगवा रहा था।

साथ ही आरोपी ठग जिस जगह आने की बात कह रहा था बार-बार लोकेशन बदलने के चलते एवं कभी फ्लाइट से आने की कहते हुए कभी ट्रेन से आने की कहने के चलते पुलिस को संदेह होने के बाद पुलिस टीम और ज्यादा सक्रिय हुई और बराबर आरोपी की लोकेशन पर निगाह जमाए रही। पुलिस की मौजूदगी में पीडित युवक द्वारा फोन करने पर आरोपी युवक द्वारा खुद की लोकेशन लखनऊ बताई गई एवं पुलिस द्वारा जांच करने पर आरोपी युवक की लोकेशन दिल्ली में ही पाई गई। इसके बाद पीडित ठगी के शिकार युवक को आरोपी युवक द्वारा दिल्ली के कनाट प्लेस थाने के पास बुलाया गया। जहां पहले से ही सक्रिय हुई लालसोट थाना पुलिस की टीम द्वारा जाल बिछाकर मौके पर ही सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगी करने के आरोपी युवक को दबोचते हुए हिरासत में ले लिया गया। आरोपी द्वारा अब तक 66 लाख रुपए ठगने की जानकारी सामने आई है। वहीं आरोपी युवक से पूछताछ कर अन्य की गई सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की किसी बडी गैंग के साथ इसी तरह की अन्य वारदाते भी खुलने की उम्मीद जताई जा रही है।

लालसोट थाना पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया।

उप जिला अस्पताल का उद्घाटन

रामगढ़ पचवारा, (निसं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आबकारी मंत्री पर सदी लाल मीना ने उपखंड मुख्यालय रामगढ पचवारा पर आयोजित लोकार्पण एवं उद्घाटन कार्यक्रम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा की उनका विकसित क्षेत्र होने का सपना लेने के साथ सुदृढ एवं आधारभूत ढांचे की परिकल्पना को साकार करने का मन रहा है।

विगत तीन दशक से वे इस लालसोट विधानसभा के समुचित विकास को लेकर प्रयासरत हैं। वही उनके द्वारा की गई विकास की परीकल्पना आप लोगों के सामने आज साकार हो रही है।

उपखंड मुख्यालय पर चिकित्सा मंत्री मीना द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्षों, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भवन एवं चारदीवारी का लोकार्पण किया। इसके बाद नवसृजित बिजली विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय व उपखंड मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए नवीन उप जिला चिकित्सालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान लालसोट प्रधान नाथूलाल मीणा, रामगढ पचवारा प्रधान डॉ कौशल्या मीणा सहायक अभियंता घनश्याम मीना खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिजीत आशीका सरपंच घनश्याम खटीक उप प्रधान सूरज कटारा पिंकी कामदार सहित गणमान्य लोग अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

रींगस से खाटू तक बनेगा पदमार्ग, सफाई होगी दुरूस्त

■ श्याम भक्तों को दर्शन सुगमतापूर्वक हो इसके लिए जिला कलेक्टर ने ली बैठक

खाटूश्यामजी, (निसं)। बाबा श्याम के दर्शन को आने वाले श्याम दर्शनार्थियों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो तथा खाटूश्यामजी का समुचित विकास हो इसको लेकर जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने गुरुवार को मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में जिला कलेक्टर के साथ पुलिस अधिक्षक कुंअर राष्ट्रदीप भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा रींगस से खाटूश्यामजी तक बायीं तरफ पैदल यात्रियों के लिए पांच मीटर चौड़ा पदमार्ग बनाया जाएगा। जिसमें लाईटिंग की व्यवस्था भी रहेगी। इसके साथ ही कस्बें की सफाई व्यवस्था पर जिला कलेक्टर ने नाराज़गी जताते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगरपालिका को दिशा निर्देश दिए।सफाई व्यवस्था सुचारू हो इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी 15 नवम्बर से 25 सफाईकर्मी वह एक टेक्ट्रर दर्शन मार्ग में सफाई के लिए लगायेगी। इसके साथ ही लखदातार मैदान में टीन शेड लगेंगे और लखदातार मैदान व प्रवेश द्वार पर निशान रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी और लखदातार मैदान के बाहर निकाल द्वार पर गेट लगाया जाएगा।श्याम मंदिर में दर्शन को आने वाले श्याम भक्तों को असुविधा न हो इसके लिए दर्शन मार्ग का विस्तार किया जाएगा।जिससे श्याम भक्त सुगमतापूर्वक दर्शन कर सकेंगे।बैठक में निर्णय हुआ कि फतेहाबाद धर्मशाला के सामने वाले रास्ते पर श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा सीसी रोड का निर्माण करवाया जाएगा।वहीं बाबा श्याम के मंदिर के विस्तार का कार्य प्रगति पर चल रहा है।ऐसे में फाल्गुन मेले से पूर्व मंदिर निर्माण के लिए अनिश्चितकालीन मंदिर बंद रखा जाएगा।वहीं कृष्णा सर्किट योजना में बने रेस्ट रूम, शौचालय,आवास रूम को भी शुरू करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने कस्बें से दर्शन मार्ग से अतिक्रमण हटाने व निर्माण स्वीकृति चालीस फीट पर देने के लिए नगरपालिका को पांबद किया।इसके साथ ही कस्बें में भिखारियों को भी पूर्णतया हटाया जाएगा।इसके लिए तहसीलदार विपुल चौधरी व थानाधिकारी सुभाष यादव को निर्देशित किया गया है।बैठक में विधुत विभाग द्वारा झुग्गी झोपडी में दिये जाने वाले कनेक्शन बंद करने के लिए आदेशित किया गया।बैठक में बताया कि कस्बें के प्रत्येक दुकानदार को स्वयं का कचरा पात्र रखना होगा।ऐसा नहीं करने पर नगरपालिका दुकानदार का चालान काटेगी इसके साथ ही सडकें,पाईप लाईन,गंदे पानी की निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा गया है।

नगरपालिका चौराहे पर हमेशा लगा रहता है जाम

बौंली, (निसं)। नगर पालिका मुख्यालय बौंली के चौराहे पर पुलिस प्रशासन की अनदेखी के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है।

नगरपालिका मुख्य चौराहे से बौंली निवाई रोड, बौंली मित्रपुरा बौंली सवाई माधोपुर, लालसोट मार्ग से वाहन आते जाते रहते हैं आदि अनेकों सडक मार्ग भी जुडे हुए हैं इस कारण यहां हमेशा वाहनों का आवागमन बना रहता है एवं यातायात का दबाव रहता है। नगरपालिका चौराहे पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर पालिका सब्जी मंडी सहित मुख्य बाजार स्थित है यहां से आसपास के विद्या अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के वाहन भी समय-समय पर निकलते रहते हैं बाइक स्कूटर जीप बस व अन्य साधन ट्रैक्टर, जुगाड़, ट्रक, डंपर, यहां पूर्व में रहे थाना इंचार्ज सर्किल इंस्पेक्टर श्री किशन मीणा ने व्यवस्थाओं को एक बार के अनुरोध से ही दुरुस्त कर दिया था। इस बारे में बौंली थाना इंचार्ज कुसुम लता मीणा से भी अनुरोध किया गया लेकिन उन्होंने इस बारे में गहराई से नहीं लिया इस कारण यहां हमेशा दुर्घटना अंदेशा बना रहता है। पूर्व में यहां कभी कबार हमेशा एक पुलिस का जवान व्यवस्था सुधारने आ जाया करता था वह एकदम करीब करीब बंद सा हो गया है। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विश्नोई के यहां की यातायात व्यवस्था सुधारने का अनुरोध किया है।

बौंली के चौराहे पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है।

बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर लूटने का प्रयास किया

■ पीछे से आ रही बोलेरो को देखकर मौके से भागे

चौरु, (निसं)। उनियारा उपखंड क्षेत्र के अलीगढ़ थाना से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर टोंक सवाई माधोपुर हाईवे मार्ग पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार को रोककर पिस्तौल की नोक पर लूटने का एवं जान से मारने का प्रयास किया।

इस दौरान पीडित ने पीछे से आ रही बोलेरो को देखकर रोका, बोलेरो के रुकते ही लुटेरे मौके से से भाग छूटे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलीगढ थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि टोंक सवाई माधोपुर हाईवे मार्ग पर 6 बजे के लगभग डींग के बालाजी के पास ग्राम पंचायत कचरावत सचिव धर्मेंद्र नायक बाइक से कचरावता से अलीगढ आ रहे थे। इस दौरान डिंग के बालाजी के यहां पर नकाबपोश लुटेरों ने ग्राम पंचायत सचिव को बाइक से रुकवा कर मोटरसाइकिल की चाबी छीन कर कनपटी पर पिस्तौल तान दी एवं कहा कि आपके पास जो भी सामान है हमें दे दीजिए नहीं तो आपका गेम बजा देंगे। यह देखकर सचिव घबरा गए इसी दौरान पीछे से बोलेरो गाड़ी आ रही थी उसे हड़बडा कर सचिव ने रोकने का प्रयास किया, ग़ेलेरो चालक कुछ समझ पाते उसे उसी दौरान बोलेरो चालक ने गाडी रोक दी। बोलेरो के रुकते ही लुटेरे मौका स्थल से उनियारा की ओर भाग छूटे। इसके बाद बोलेरो चालक ग्राम पंचायत सचिव को अलीगढ पुलिस थाने पर छोड कर गए। एवं सचिव ने आपबीती अलीगढ थाना प्रभारी को बताकर रिपोर्ट दी है। इस संबंध में उनियारा पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद खान ने बताया कि घटना गंभीर है लुटेरे जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

विशाल सैनी ने स्वर्ण पदक जीता

अलवर । 66वीं जिला स्तरीय खेल तायक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन राठ इन्टरनेशन स्कूल, 6० फूट रोड, अलवर में आयोजित किया गया। इस ताईक्वांडों प्रतियोगिता में चमेली बाल विद्या मन्दिर उ.मा. विद्यालय, सोनावा अलवर के 19 वर्षीय छात्र प्रतियोगिता में विशाल सैनी पुत्र श्री प्रेमचन्द सैनी ने 66 किग्रा. भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विशाल सैनी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानपुर के छात्र को पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विशाल सैनी को स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर विद्यालय परिवार की ओर से माला व साफा पहनाकर व मीठाई खिला कर सम्मान प्रतीक चिन्ह भेटकर सम्मानित किया।

ट्रोले और कंटेनर की भिड़ंत में कंटेनर चालक की मौत

पावटा, (निसं)। पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 दिल्ली जयपुर रोड पर बुधवार की रात ट्रोले और कंटेनर में तेज भिड़ंत हो गई। इस दौरान कंटेनर चालक की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। भिडंत होने से हाईवे पर जाम लग गया। मौके का फायदा उठा कर ट्रोला चालक फरार हो गया।

मौके पर पहुंची प्रागपुरा पुलिस द्वारा कडी मशक्कत के बाद वाहनों को इधर-उधर करने पर यातायात बहाल हो सका। वहीं प्रागपुरा थाना पुलिस हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने बताया कि ट्रोले में माल लोड था राष्ट्रीय राजमार्ग 48 दिल्ली जयपुर रोड पावटा फ्लाई ओवर पर पीछे से आ रहे कंटेनर जिसमें मारुति लोड थी ने ट्रोले में टक्कर मार दी। जिस पर घटना में घायल कर्टेनर चालक शाहरुख पुत्र हमीद उम्र 29 साल निवासी पोल फिरोजपुर झिरखा की मौत हो गयी। वहीं दोनों वाहनों की टक्कर होने से हाईवे पर जाम हो गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी होने पर पहुंची प्रागपुरा पुलिस ने क्रेन की सहायता से किसी तरह से वाहनों को इधर-उधर कराया। वही प्रागपुरा पुलिस द्वारा रात को ही मृतक कर्टेनर चालक शाहरुख के परिजनों को सूचित कर दिया जाने पर सुबह उनकी मौजूदगी मे शव का पोस्ट मार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वही इन दुर्घटनाओ के जिम्मेदार टोल कंपनियां ज्यो कि सिर्फ टैक्स वसूलने मे लगी रहती है। लेकिन उनका सुरक्षा पर कोई ध्यान नही है। वही स्थानिय पुलिस और आरटीओ भी इन बढती हुई दुर्घटनाओ के जिम्मेदार है। ड्राइविंग के समय नींद, ओवरस्पीड, नशा, रॉन्ग साइड गाडी चलाना हादसे की बडी वजह हैं। लेकिन साथ में हाईवे पर खडे होने वाले वाहन भी लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा रहे हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर कई जगह ऐसी हैं, जहां सडक किनारे खडे वाहन अक्सर मिल जाते हैं।

दिल्ली-जयपुर रोड पर ट्रोले और कंटेनर में तेज भिड़ंत हो गई।

जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू

राजगढ़, (निसं)। कस्बे के प्यारेलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में 66 वी जिला स्तरीय बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक जोहरी लाल मीणा ने किया।

इस अवसर पर विधायक मीणा ने खिलाडी छात्रों की ओर से प्रस्तुत मार्च पास्ट को सलामी दी। इस अवसर पर विधायक जोहरी लाल मीणा ने कहा कि खिलाडी छात्र-छात्राएं अनुशासन एवं भाईचारे के साथ उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने सभी खिलाडी छात्र-छात्राओं से खेल भावना का परिचय देने का आ ान करते हुए कहा कि हार जत खेल का हिस्सा है। उन्होंने प्रतियोगिता में आए निर्णयको से निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित फैसले देने का आव्हान किया। इस अवसर पर ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का आगाज किया। विधायक ने बैडमिंटन ने प्रतीक रूप से बल्ले से सटल को दूसरे मैदान में पहुंचा कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधानभोरी देवी राठौड़ तहसीलदार जुगिता मीना, ए सी बी ई ओ कमल कुमार एवं शिक्षक गण सहित खेल प्रभारी मौजूद रहे।

मूर्तियों का दो साल बाद भी नहीं लगा सुराग

सांभरझील। यहां देवयानी सरोवर जाने वाले मार्ग पर स्थित श्रीरघुनाथजी के मंदिर से करीब 600 साल पुरानी प्राचीन भगवान की मूर्तियों की चोरी होने के 2 साल बाद भी पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। यहां के पुजारी सोहनलाल स्वामी से बात करने पर बताया कि इन मूर्तियों की चोरी होने के बाद से उनका मन काफी आहत है।

पुजारी ने बताया कि आज से 2 साल पहले यहां के मंदिर से अज्ञात चोर राम जानकी की अष्ट धातु की करीब 600 साल पुरानी प्राचीन मूर्तियों के अलावा भगवान लड्डू गोपाल की दो मूर्ति, , एक सालगरामजी की मूर्ति, मंदिर से एक चांदी का पत्र, भगवान राम जानकी के सिंहासन, दो चांदी के मुकुट, दो कांस्य की झालर, करीब 5:30 किलो वजन का पीतल का घंटा, प्रतिमाओं को भोग लगाने के पात्र तथा पानी की मोटर खोल कर भी अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे जिसकी रिपोर्ट सांभर थाना पुलिस को दी गई थी। यह मंदिर प्राचीन मंदिर की श्रंखला में सूचीबद्ध है इसलिए इस मंदिर का काफी महत्व है। यहां की मूर्तियां चोरी होने के बाद से आज तक उन्हें इनकी बरामती का इंतजार बना हुआ है।

वहीं दूसरी ओर धनतेरस के मौके पर धनतेरस के रोज शर्मिष्ठा सरोवर से भी भगवान राम सीता की प्राचीन मूर्तियों के चोरी होने के बाद लोगों की भावना काफी आहत हो रही है। इन दोनों ही मंदिरों से चोरी की गई मूर्तियों का पता लगाने के लिए यहां विश्व हिंदू परिषद के सचिव सुनील शर्मा व देवयानी विकास समिति के अध्यक्ष हरिदास शर्मा ने उपखंड अधिकारी सांभर को अलग-अलग पत्र लिखकर पुलिस से अपेक्षा की है यथाशीघ्र इन प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी की कार्रवाई की जाए तथा अज्ञात चोरों का पता लगाकर उनको कडी से कडी सजा दिलवाई जाए।

कार्यालय नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा (जयपुर)

क्रमांक-न.पा.पाव.प्रा./2022-23/भूमि/5215 दिनांक-9.11.2022

प्रारूप-10 (नियम 6(7)

लोक सूचना

श्री मनोज, मनीष पुत्रान श्री तीर्थलाल, जाति खत्री निवासी विद्याधर नगर जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात-

जिला सहित तहसील-पावटा-जयपुर, ग्राम का नाम-शिवनगर, खसरा नम्बर-1864,1864/2450,1864/2453, क्षेत्रफल-1.0576 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियम समय-समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर व मोहर के अधिन आज दिनांक 09.11.2022 को जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4262-4263 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-18.10.2022

श्रीमती विदामी देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह निवासी वार्ड नम्बर 07 ढाणी डेरारामसागर श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.07 ढाणी डेरारामसागर श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐ निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में आवेदक का नोहरा, पश्चिम दिशा में धापली देवी का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता व दक्षिण दिशा में खेताराम, रतनलाल, प्रभातीलाल की भूमि अवस्थित है।	मकान आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूर्वी ओर 27 फुट 6 इंच पश्चिम ओर 32 फुट 4 इंच, उत्तरी ओर 95 फुट 8 इंच, व दक्षिणी ओर 99 फुट 8 इंच कुल क्षेत्रफल 304.69 वर्गगज या 254.76 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18.10.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका लालसोट (दौसा)

Email ID-lalsot.jaipur@yahoo.com

Ph.-01431-260714

क्रमांक-न.पा.ला./2022/4553-4556 दिनांक-10.11.2022

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में निम्नलिखित खसरों का ले-आउट प्लान बनवाने के लिए पत्रावलियां प्राप्त हुई है इन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 दिवस में मय लिखित दस्तावेज नगर पालिका में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। अतः सूचना मेरे हस्ताक्षर मय मुहर के अधीन आज दिनांक 10.11.2022 को जारी की है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नम्बर
1	लालसोट	2249
2	लालसोट	2254
3	लालसोट	2255
4	चक राजोली	2547/22

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका लालसोट

कार्यालय नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा (जयपुर)

क्रमांक-न.पा.पाव.प्रा./2022-23/भूमि/5212 दिनांक-9.11.2022

प्रारूप-10 (नियम 6(7)

लोक सूचना

श्रीमती संध्या पत्नी श्री मनोज कुमार जाति खत्री निवासी विद्याधर नगर जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात-

जिला सहित तहसील-पावटा-जयपुर, ग्राम का नाम-शिवनगर, खसरा नम्बर-1864/2454,1864/2428,1864/2451, क्षेत्रफल-0.8800 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियम समय-समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर व मोहर के अधिन आज दिनांक 29.11.2022 को जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा

आम सूचना

मैं लक्ष्मण सिंह गूर्जर पुत्र श्री प्रहलाद गूर्जर निवासी खानाका जगर हिण्डौन सिटी करौली शपथ-पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पुत्र दयाराम सिंह पुत्र लक्ष्मण गूर्जर का निधन 10/2020 में हो गया था मेरे पुत्र के नाम एक वाहन RJ-34RB3788 है जिसको मैं मेरे नाम करवा रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो 7 दिवस में जिला परिवहन अधिकरी करौली कार्यालय में दर्ज करावें।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India Relationships beyond banking.

शाखा कार्यालय:- कानोता, जयपुर | ई-मेल आई.डी.- kanota.jaipur@bankofindia.co.in

मांग सूचना पत्र सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन

यह कि **बैंक ऑफ इण्डिया** ने जरिए प्राधिकृत अधिकारी निम्न लिखित ऋणी/जमानती/ बंधककर्ता को उनके द्वारा शाखा कार्यालय कानोता, जयपुर से ली गई ऋण सुविधा के पुर्नभुगतान तथा ब्याज में भुगतान में चूक करने पर उक्त ऋण सुविधा को दिनांक 23/05/2022 को अक्रियान्वित आस्ति (एन.पी.ए.) के रुप वर्गीकृत कर नोटिस जारी किया था। नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पता पर भेजे गए थे जो बिना तामील द्वारा लौट कर आ गए है। अत इस आम सूचना द्वारा उनको सूचित किया जा रहा है।

नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2)	ऋणी/बंधकर्ता/जमानती का नाम एवं पता	ऋणी राशि	बकाया राशि नोटिस के अनुसार	रहन/बंधक सम्पति का विवरण
05/07/2022	**श्री हीरामन वर्मा,** पताः- प्लाट नम्बर 433, पालड़ी मीना, जेडीए स्कीम, जयपुर राजस्थान **पताः**- दशल भवन, कमला विहार, पोस्ट ऑफिस के पास, जगतपुरा, जयपुर राजस्थान । (ऋणी / बंधककर्ता)	आवासीय ऋण खाता संख्या 746375110000001 स्वीकृत राशि रु. 10,60,000/-	रु. 10,98,537.73 दिनांक 05/07/2022 तक व दिनांक 06.07.2022 से 8.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान तक लागू।	श्री हीरामन वर्मा की बंधक सम्पति जो कि प्लाट नम्बर 433, पालड़ी मीना, जेडीए स्कीम, जयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि एवं भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप 40.00 वर्ग मीटर हैं। चतु : सीमा उत्तर में अन्य भूमि दक्षिण मे : सी-432 पूर्व में : अन्य पश्चिम में : रोड़

अतः यह सूचना उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत डाक द्वारा भेजे गये की एवज में प्रकाशित की जा रही है। यह कि उक्त नामित ऋणियों /जमानतीयों/ गारण्टर को एत्द द्वारा यह प्रेषित किया जाता है कि इस नोटिस के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिवस के भीतर अपना उक्त वर्णित समस्त ऋण राशि मय ब्याज एवं समस्त खर्चा चुकावें अन्यथा ऐसा न होने पर बैंक द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। सूचित रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार उक्त वर्णित समस्त ऋणीयों / जमानतीयों/गारण्टर इत्यादि सम्बन्धित बन्धक सम्पति को बेचान / लीज/ लाइसेंस/ उपहार आगे बंधक अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित एवम् अन्तरण नहीं कर सकते हैं।

दिनांक : 11/11/2022 **स्थान : कानोता, जयपुर** **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया**

Notice Under Rule2 of Second Schedule to The Income Tax Act1961
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Center
Opp Kishan Bhawan, Tonk Road, Jaipur-302015

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-JAIPUR

Dispatch No.DRT/JP/5916 Date 11/10/22

R.C. No. 515/2020 Next date 23-11-2022

KOTAK MAHINDRA BANK LTD Certificate Holder

Versus

Babu Lal and others Certificate Debtor

DEMAND NOTICE

To

1.Babu Lal S/o Shri Kanaheya Lal R/o -163, Lajpat Nagar, Jagatpura, Jaipur-302017 (Raj)
2. Arun Sharma S/o Shri Gyan Chand Sharma R/o- 16/B/3, Chinab Apartment, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur-302017 (Raj)

In view of the Recovery Certificate issued in O.A. No.340/2018 passed by the Presiding Officer, DRT, Jaipur an amount of **Rs. 16,86,531.42 (Rupees Sixteen Lacs Eighty Six Thousand Five Hundred Thirty One And Forty Two Paisa)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you.

1. You are hereby called upon to deposit the above sum within 15 days of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be made as per rules.
2. You are, hereby ordered to appear before the undersigned on 23-11-2022 at 11.00 A.M.
3. In additions to the sum aforesaid you will be liable to pay:

(a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the execution proceedings.
(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and other process that may be taken for recovering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT IN THE RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU.

(1)Recovery Certificate Amount Rs.16,86,531.42
(2) Cost of Suit Rs.20,375/-
(3) Interest from dated 15-03-2018 to 24.06.202 Rs. 3,83,977/-
(4) Amount Recovered after RC Issued (if any) NIL
(5)Total Dues Rs. 20,90,883

(Seal) Recovery Officer-II Debt Recovery Tribunal Jaipur

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031, फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

अधिकृत अधिकारी-अभिषेक कुमार, संपर्क नम्बर-7230013999-9874702021 ई-मेल-abhishek.kumar30@idfcfirstbank.com

परिशिष्ट-IV-ए

(नियम 8 (6) का प्रावधान देखें)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से कालम (ii) के अनुसार ऋण प्रहिता(ओ) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) को सूचित किया जाता है कि कालम (iii) के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है, तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो पहले आईडीएफसी बैंक लि. के नाम से जाना जाता था, के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 29.11.2022 को "जहाँ है जैसी है", "जो कुछ है यह है" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर, जेसा नीचे वर्णित है, कालम (i) के अनुसार ऋणग्रहिता (ओं) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) को बकाया राशी की वसूली के लिये की जायेगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिये क्रमशः आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेब साइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक, अर्थात http://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC को देखें।"

निलामी का विवरण

क्रम सं.	डिमांड नोटिस तिथी एवं राशि	ऋण	ऋण प्रहिता (ओं) एवं सहऋणप्रहिता (ओं) के नाम	सम्पत्ति का पता	शाखा कार्यालय	राज्य	आरक्षित मूल्य राशि	ईएमडी राशि	ईएमडी तथा दस्तावेज जमा कराने का अन्तिम समय व तिथि (आनलाइन) तक/पहले	निलामी की तिथि तथा समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	अधिकृत अधिकारी विवरण
1	14.04.2021 को रूपये 1006066.46/-	17458539	मनीष शर्मा	यूनिट नं. जी-2, क्षेत्रफल 750.00 वर्गफिट, ग्राउन्ड फ्लोर, प्लाट नं. एच-125, मंगलम सिटी विस्तार ब्लाक-एच, ग्राम निवारू एवं पीथावास (हाथोज) कलवाड रोड, तहसील व जिला जयपुर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-रोड 30'-0" चौडी, पश्चिम-प्लाट नं. एच-95, उत्तर-प्लाट नं. एच-126, दक्षिण-प्लाट नं. एच-124	जयपुर	राजस्थान	रूपये 600000/-	रूपये 60000/-	28.11.2022 को सायं 5.00 तक	29.11.2022 प्रातः 11.00 से दिन में 1.00 तक	22.11.2022 प्रातः 11.00 से सायं 4.00 तक	अभिषेक कुमार, सम्पर्क नम्बर-7230013999 9874702021, ईमेल-abhishek.kumer30 @idfcfirstbank.com

अस्वीकरण- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई, अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।

दिनांक- 09.11.2022
स्थान- राजस्थान

ह./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, पूर्व में आईडीएफसी बैंक के नाम से जाना जाता था
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)